

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्राथमिक पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/4/24	पत्रावली पेश हुई। PO साहब रोये जब फर्द में उल्लेख करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 6/6/24 को पेश हो।
06/06/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर अप्रार्थी स. 1 लगायत 8 के विरुद्ध मूल वाद में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः इस प्रार्थना फा में भी अप्रार्थी स. 1 लगायत 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता की प्राप्ता अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस बुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अफ्लोवन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस जाहिर तर्हियों पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी भूमि ख.न. 34, 34/1 लगायत 34/9, 46, 46/1 कुल छिटा 12 कुल रकबा 8.5472 हे. स्थित ग्राम विमलपुरा प.ह. देवगांव भू.अ. नि. देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर में उन्मथपत्रों की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उन्मथपत्र उक्त आराजी भूमि पर लूफेंसला वाद के मौके व रिकार्ड की प्रथा स्थिति बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।</p>

सहायक कलेक्टर

बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण